

(133)



न्यायालय ~~अतिरिक्त कसेक्टर जिला~~ मन्दासौर
न्यायालय 21/02/2017 का 2 वाकिल म 2 म.प्र.
म0प्र0

R-1375-PP247 प्रक0 /2017

①
PT AC
श्री उम के. गांधी
आफिवाउड इका
5/12/17
15/2/17

1. कन्हैयालाल पिता चुन्नीलाल जी जाति खाती उम्र 73 वर्ष
 2. अशोक कुमार पिता प्रेमचंद जाति खाती उम्र 45 वर्ष
 3. ओमप्रकाश पिता प्रेमचंद खाती उम्र 43 वर्ष
 4. मधुबाला पिता प्रेमचंद खाती पति विनोद कुमार खाती उम्र 45 वर्ष
 5. संगीता पिता प्रेमचंद खाती पति कारूलाल खाती उम्र 35 वर्ष
 6. कमलाबाई पिता चुन्नीलाल जी पति कन्हैयालाल खाती
 7. पवीत्राबाई पिता प्रेमचंद पति गोपाल खाती
- सभी निवासीयान सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र.

--- प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल पिता मोतीलाल जी जाति खाती उम्र 55 वर्ष
 2. गीताबाई बेवा मोतीलाल जी खानी उम्र 75 वर्ष
- धंधा खेती सभी निवासीयान सीतामऊ जिला मंदसौर म.प्र.---
- विपक्षीगण

उक के उम/ 2.5.17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भुराजस्व संहिता
विरुद्ध आदेश दिनांक 24/01/2017 न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी सीतामऊ जिला मन्दासौर प्रक0
88/अपील/15-16

माननीय महोदय,
निगरानी प्रार्थी अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर
अवधि में निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

- /1/ यह कि आदेश अधिनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं प्रकरण के विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- /2/ यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भुल की है कि न्यायालय तहसील द्वारा जो बंटवारा किया गया है वह दिवानी न्यायालय के निर्णय व डिक्री के अनुसार नहीं है।
- /3/ यह कि विपक्षी प्रभुलाल व गीताबाई को बंटवारा जो तहसीलदार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उसके बारे में कोई आपत्ति थी तो उसे तहसील में आपत्ति करना चाहिए थी तहसील में आपत्ति नहीं कर उसने बंटवारा जो तहसील

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

(13)

(32)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -- R1375/PBR/17

जिला - म.भ.म.न.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-7-19	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी <u>अनुविभागीय अधिकारी</u> <u>सीतामऊ</u> के प्रकरण क्रमांक <u>88/अप/म/15-16</u> में पारित आदेश दिनांक <u>24-1-19</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु <u>क.ह.अ.म.न. म.भ.म.न.</u> को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक <u>14-10-19</u> को <u>क.ह.अ.म.न. म.भ.म.न.</u> के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">(महेश/चन्द्र चौधरी) सदस्य</p>	